अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0–131/2011

दुर्गा राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनुपर,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1099,दिनांक 01.12.2011 के विरूद्व दाखिल है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद संख्या 7463/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2013 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गा राम ज0वि0प्र0वि, पंचायत-दुधैला, प्रखंड–सोनपुर, थाना–सोनपुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) विक्रेता अनुपस्थित पाये गए। विक्रेता के भाई के द्वारा पंजी प्रस्तुत किया गया। (2) उनके दुकान पर किरासन तेल का ड्राम नही पाया गया। (3) उनके द्वारा अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही किया गया। (4) कंचन पासवान, पिता–सम्पत पासवान एवं जोखन महतो, पिता–सरयुग महतों बैगरह ने बताया कि अन्त्योदय ,खाद्यान्न का कूपन उनके द्वारा रख लिया गया है। (5) संजय पंडित, पिता– मोहन पंडित एवं शोभनाथ प्रसाद, पिता–स्व0 सरयुग प्रसाद बैगरह ने बताया कि बी0पी0एल0 खाद्यान्न का कूपन उनके द्वारा रख लिया गया है। (6) शिव महतो, पिता– स्व0 केदार महतो, सा0– फकराबाद ने	

बताया कि बी0पी0एल0 खाद्यान्न 20 किलो दिया जाता है तथा कूपन भी उनके द्वारा रख लिया गया है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1051 आ0, दिनांक 23.11.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विक्रेता तेल का उठाव करने गये थे, जिसके कारण उनके दरवाजे पर ड्राम नही था। अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही की गई। कार्डधारी के बयान के संबंध में कहना है कि शोभनाथ प्रसाद, पिता– स्व0 सरयुग प्रसाद का नाम न तो ए0पी0एल में है, न बी0पी0एल0 में है और न ही अन्तोदय में है। इनका आरोप बेबुनियाद है। खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण किसी भी कार्डधारी के साथ कोई भी भेदभाव नही बरता जाता है। विभागीय दिशा निदेश के आलोक में उनके द्वारा सभी सामग्री का उठाव एवं वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का बयान अपीलार्थी के पक्ष में संलग्न कर दिया गया है जिसमें यह अंकित है कि उन्हे वर्तमान में विक्रेता से कोई शिकायत नही है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1099आ0, दिनांक 01.12.2011 को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उनके साथ संलग्न कागजात सही प्रतीत नही होता है। जिनके द्वारा शिकायत की गई,उन्ही के द्वारा पुनः विक्रेता के पक्ष में बयान दिया जाना न केवल आपतिजनक है, बल्कि संदेहास्पद भी है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.12.2011 एक मुखर आदेश(Speaking order) है। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई, उन्ही के द्वारा पुनः विक्रेता के पक्ष में बयान दिया जाना अपने आप में संदेहास्पद है, एवं अनियमितता की ओर इशारा करता है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता मै महसूस नही करता हूँ। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.12.2011 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 231 /न्यायालय, दिनांक 17/4/2015

प्रतिलिपि- SDO, सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

17/4/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

17/4/15